

वित्त निर्देश 02/2024

छत्तीसगढ़ शासन

वित्त विभाग

मंत्रालयः

महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़

क्रमांक 135/एफ-2013-04-00121/ब-4  
प्रति,

नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 21.10.2024

शासन के समस्त विभाग,  
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, बिलासपुर,  
समस्त विभागाध्यक्ष,  
समस्त संभागीय आयुक्त,  
समस्त जिलाध्यक्ष  
छत्तीसगढ़

विषय:-परिवार कल्याण निधि, 1974 के अंतर्गत जमा राशि पर तथा केन्द्रीय शासकीय कर्मचारी समूह बीमा योजना, 1980 के अंतर्गत बचत निधि में जमा राशि पर देय ब्याज दर का वर्ष 2023-24 के लिये पुनरीक्षण।

भारत सरकार वित्त मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ. 7 (1)/EV/2023 दिनांक 25.10.2023 द्वारा केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना, 1980 की बचत निधि पर ब्याज दर का पुनरीक्षण किया गया है। अतः राज्य शासन तदनुसार समूह बीमा योजना, 1985 की बचत निधि में जमा राशि पर तथा परिवार कल्याण निधि, 1974 के अंतर्गत जमा राशि पर दिनांक 01.10.2023 से 31.12.2023 तक निम्नानुसार ब्याज निर्धारण करता है:-

(अ) शासकीय कर्मचारी समूह बीमा योजना, 1985

- दिनांक 01.10.2023 से 31.12.2023 तक 7.1 प्रतिशत प्रतिवर्ष (तिमाही रूप से संयोजित)

(ब) परिवार कल्याण निधि, 1974

- दिनांक 01.10.2023 से 31.12.2023 तक 7.1 प्रतिशत प्रतिवर्ष (तिमाही रूप से संयोजित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

16/1  
(शारदा वर्मा)  
सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

प्राचाय -

भास. वीर गेंद सिंह महाविद्यालय पन्नापुर  
मिस्त्र - उ.ब. कर्कर (उ.न.)

## CONFIDENTIALITY REPORT(CR)

At the end of the each session, staff's performance is evaluated by the Principal on the basis of the information filled up in the form

प्रपत्र-तीन  
प्रथम श्रेणी,द्वितीय श्रेणी,कार्यपालिक श्रेणी के अधिकारी का  
गोपनीय प्रतिवेदन

II..... वर्ष को समाप्त होने वाली अवधि II

भाग-एक

1. अधिकारी का नाम
2. पदनाम
3. नियोजन का प्रकार
4. पदस्थापना का जिला


भाग-दो (प्रतिवेदित अधिकारी द्वारा जावे)

01 कार्य का संक्षिप्त विवरण

02 कृपया आपके लिये निर्धारित गुणात्मक/भौतिक/वित्तीय लक्ष्यो को प्राथमिकता कम में और प्रत्येक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धि का उल्लेख करें।

लक्ष्य	उपलब्धियाँ
--------	------------

03 (अ) कृपया कालम 2 के संदर्भ में लक्ष्यों/उद्देश्यों की पूर्ति में कमी का संक्षिप्त विवरण दें। यदि लक्ष्यों की पूर्ति में कोई कठिनाई (बाधा) आई हो तो उसको भी बतायें।



प्राचार्य

शास. वीर गेंद सिंह महाविद्यालय पल्लान्जूर  
जिला - उ.ब. कांकेर (छ.ग.)

**P.B.A.S.**  
**Performance Based Appraisal System**


छत्तीसगढ़ शासन  
उच्च शिक्षा विभाग

कार्य निष्पादन आधारित मूल्यांकन प्रणाली (पीबीएस) हेतु  
वार्षिक स्व मूल्यांकन प्रपत्र

सत्र/वर्ष .....

(प्रत्येक अकादमिक वर्ष के अंत में पूर्ण रूप से भरकर जमा किया जाए)

शिक्षक का नाम	.....
पदनाम	..... विषय
कर्मचारी कोड नं.	.....
महाविद्यालय	.....

  
प्राचार्य  
शा. बीर गेंव सिंह महाविद्यालय परमजूर  
खिला - उ.ब. कांकेर (छ.ग.)

## भाग-घ.

(आंतरिक गुणवत्ता एवं मूल्यांकन प्रकोष्ठ/उच्च शिक्षा संचालनालय का  
अभिमत)

आवेदक अधिकारी द्वारा भाग क, ख, ग में प्रेषित सत्र/वर्ष .....

के स्व-मूल्यांकन पर टीप-

1.	क्या आप आवेदक अधिकारी के स्व मूल्यांकन में अंकित किसी बिन्दु से असहमत हैं ? यदि हाँ तो किन-किन बिन्दुओं से तथा क्यों ? (कारण सहित उल्लेख करें)	
	बिन्दु-	कारण-
	बिन्दु-	कारण-
	बिन्दु-	कारण-
	बिन्दु-	कारण-
2.	आवेदक अधिकारी की निष्ठा	
3.	आवेदक अधिकारी के समग्र मूल्यांकन के आधार पर अनुशंसित अकादमिक निष्पादन सूचकांक (A.P.I.)	

स्थान -

दिनांक -

हस्ताक्षर

नाम .....

पदनाम .....


हस्ताक्षर

नाम .....

पदनाम .....

संयुक्त संचालक  
आंतरिक गुणवत्ता एवं मूल्यांकन  
प्रकोष्ठ

अपर संचालक  
उच्च शिक्षा संचालनालय  
रायपुर (C.P.)



प्राचार्य

भास. कीर मेंड सिंह महाविद्यालय इकांजूर  
जिला - उ.ब. कांकेर (छ.ग.)

समीक्षक अधिकारी की अभ्युक्ति

1.	क्या आप आंतरिक गुणवत्ता एवं मूल्यांकन प्रकोष्ठ के अभिमत से सहमत हैं ?	
2.	यदि नहीं तो कारण दर्शित करें।	

स्थान -

दिनांक -

हस्ताक्षर

---

---

समीक्षक अधिकारी के

नाम .....

पदनाम .....

स्वीकृतकर्ता अधिकारी की अभ्युक्ति

स्थान -


दिनांक -

हस्ताक्षर

स्वीकृतकर्ता अधिकारी के

नाम .....

पदनाम .....

  
प्राचार्य -

शास. वीर भेंद सिंह महाविद्यालय पन्नाजूर  
जिला - उ.ब. कांकेर (छ.ग.)

**कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय**  
**शासकीय विज्ञान महाविद्यालय परिसर, रायपुर (छ.ग.)**

क्रमांक \8\10/आउशि/समन्वय/2014  
प्रति,

रायपुर दिनांक 26 मार्च, 2014

समस्त प्राचार्य  
..... छत्तीसगढ़।

**विषय:-** शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिये कार्यनिष्पादन आधारित मूल्यांकन प्रणाली हेतु वार्षिक स्व मूल्यांकन प्रपत्र।

- संदर्भ:-** 1. उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक 1221/एफ-2-10/2009/38-1 दिनांक 30.03.2010  
2. प्रदेश के अग्रणी महाविद्यालयों के प्राचार्यों के बैठक दिनांक 01/02/2014 को दिये गये निर्देशानुसार।  
3. भारत का राजपत्र सितंबर 18, 2010 वि.वि. अनुदान आयोग दिनांक 30 जून 2010

-----00-----

उपर्युक्त संदर्भित पत्रानुसार विभाग में कार्यरत सभी शिक्षकों, ग्रंथपाल एवं क्रीडाधिकारियों को छठवां वेतनमान प्रदाय किया गया है। उक्त वेतनमान के साथ समस्त शिक्षकों को नियुक्ति/पदोन्नति/स्थानन हेतु एक निर्धारित प्रपत्र 'कार्यनिष्पादन आधारित मूल्यांकन प्रणाली (PBAS)' विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी किया गया है।


यह प्रपत्र सभी शिक्षकों को आगामी नियुक्ति/पदोन्नति/स्थानन के समय भरा जाना अनिवार्य होगा। विभाग द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार सत्र 2013-14 से यह प्रपत्र प्रत्येक महाविद्यालयीन शिक्षकों को भरना होगा। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा पूर्व में जारी गोपनीय चरित्रावली एवं 'कार्यनिष्पादन आधारित मूल्यांकन प्रणाली (PBAS)' दोनों प्रपत्र साथ-साथ भरा जावेगा।

संलग्न प्रपत्र के साथ इसे भरे जाने हेतु निर्देश भी संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। समस्त शासकीय महाविद्यालय के प्राचार्यों का दायित्व है कि प्रत्येक महाविद्यालयीन शिक्षक का स्व मूल्यांकन प्रपत्र भी भरवाया जाकर वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन के साथ-साथ भेजा जाना सुनिश्चित करें।

ग्रंथपाल एवं क्रीडाधिकारी का स्वमूल्यांकन प्रपत्र पृथक से प्रेषित किया जा रहा है।

(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)


संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

  
(डॉ. किरण गजपाल)  
संयुक्त संचालक  
उच्च शिक्षा संचालनालय  
रायपुर (छ0ग0)

पृ० क्रमांक १४२/५०/आउशि/समन्वय/२०१४  
प्रतिलिपि :-

रायपुर दिनांक २६ मार्च, २०१४

1. माननीय राज्यपाल महोदय के प्रमुख सचिव, राजभवन, रायपुर की ओर सूचनार्थ ।
2. निज सहायक, मान० मंत्री जी उच्च शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ ।
3. निज सहायक, कुलपति, पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर /बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर/सरगुजा विश्वविद्यालय,अंबिकापुर/बस्तर विश्वविद्यालय ,जगदलपुर / इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़/कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय, रायपुर ।
4. निज सहायक, सचिव, छ०ग०शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन नया रायपुर ।
5. निज सहायक, आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय रायपुर (छ०ग०) ।
6. उप सचिव, छ०ग०शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन नया रायपुर ।
7. कुल सचिव, पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,रायपुर /बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर /सरगुजा विश्वविद्यालय, अंबिकापुर/बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर / इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़ /कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ ।
8. प्रभारी अधिकारी राजपत्रित स्थापना/प्राचार्य प्रकोष्ठ, उच्च शिक्षा संचालनालय रायपुर (छ०ग०) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

  
संयुक्त संचालक  
उच्च शिक्षा संचालनालय  
रायपुर (छ०ग०)

छत्तीसगढ़ शासन  
उच्च शिक्षा विभाग

कार्य निष्पादन आधारित मूल्यांकन प्रणाली (पी0बी0ए0एस0)  
हेतु  
वार्षिक स्व मूल्यांकन प्रपत्र

सत्र/वर्ष .....

(प्रत्येक अकादमिक वर्ष के अंत में पूर्ण रूप से भरकर जमा किया जाए)

शिक्षक का नाम	.....
पदनाम	..... विषय .....
कर्मचारी कोड नं.	.....
महाविद्यालय	.....



**(भाग-क सामान्य सूचना)**

1. नाम (बड़े अक्षरों में) :
2. पिता/पति का नाम :
3. विभाग :
4. जिस विषय में विशेषज्ञता हो
5. महाविद्यालय में सेवा प्रारंभ करने की जानकारी
  - i. प्रथम नियुक्ति का पद प्रकार एवं दिनांक .....
  - ii. नियमित नियुक्ति का दिनांक .....
  - iii. वर्तमान पद एवं नियुक्ति दिनांक .....
6. वर्तमान पद एवं वेतन ग्रेड :
7. पूर्व पदोन्नति की तिथि :
8. पत्र व्यवहार हेतु पता (पिन कोड सहित) :
9. स्थायी पता ( पिन कोड सहित ) :
 

फोन नं. :

ई मेल :
10. यदि वर्ष के दौरान कोई डिग्री/शैक्षिक योग्यता प्राप्त की है :
11. अकादमिक स्टाफ कालेज नवोन्मेषी/पुनश्चर्या पाठ्यक्रम जिनसे वर्ष के दौरान भाग लिया गया :

पाठ्यक्रम का नाम/ ग्रीष्मकालीन स्कूल	स्थान	अवधि	प्रयोजक अभिकरण

12. वर्ष के दौरान लिये गये अवकाश की प्रकृति एवं दिवस

## भाग-ख : अकादमिक कार्य निष्पादन संकेतक

(कृपया इस खण्ड को भरने से पूर्व इस (पीबीएस) प्रोफॉर्मा के ब्यौरेवार अनुदेशों को देख ले)

### वर्ग : I. शिक्षण, अनुशिक्षण तथा मूल्यांकन संबंधी कार्यकलाप

- (i) व्याख्यान, संगोष्ठियों, अनुवर्ग, प्रायोगिक कक्षाएँ, संपर्क घंटे (सत्रवार ब्यौरा दें, जहाँ आवश्यक हो)

क्र.सं.	पाठ्यक्रम/ प्रश्न पत्र	स्तर	शिक्षण का माध्यम	प्रति सप्ताह आबंटित कक्षाओं की संख्या	प्रति दस्तावेजी रिकॉर्ड के अनुसार ली गई कक्षाओं/ प्रायोगिक कक्षाओं की सं. का प्रतिशत

- \* व्याख्यान (एल), संगोष्ठी (एस), अनुवर्ग (टी), प्रायोगिक कक्षाएँ (पी), संपर्क घंटे (सी)

		API अंक
(क)	ली गई कक्षाएँ (100 प्रतिशत कार्य निष्पादन पर अधिकतम 50 अंक तथा 75 प्रतिशत तक कार्य निष्पादन पर अनुपातिक अंक जिससे निचले स्तर पर कोई अंक नहीं दिया जायेगा)	
(ख)	यू.जी.सी. प्रतिमान के अतिरिक्त शिक्षण भार (अधिकतम अंक : 10)	

- (ii) पाठन/परामर्श प्राप्त अनुदेशात्मक सामग्री एवं विद्यार्थियों को उपलब्ध कराए गए अतिरिक्त ज्ञान संसाधन

क्र.सं.	पाठ्यक्रम/प्रश्न पत्र	परामर्श प्राप्त	विनिर्दिष्ट	उपलब्ध कराए गए अतिरिक्त संसाधन
पाठ्यचर्या एवं पाठ्यविवरण संवर्धन के अनुसार तैयारी एवं विदित ज्ञान/अनुदेश पर आधारित API अंक, विद्यार्थियों को अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराते हुए (अधिकतम अंक : 20)				API अंक

(iii) सहभागितापूर्ण तथा नवोन्मेषी शिक्षण-अनुशिक्षण पद्धतियों का उपयोग,

विषय-वस्तु, पाठ्यक्रम सुधार आदि को अद्यतन करना

क्र.सं.	संक्षिप्त विवरण	API अंक
	कुल अंक (अधिकतम अंक : 20)	

(iv) परीक्षा ड्यूटी, सौंपी गई एवं निष्पादित की गई

क्र.सं.	परीक्षा ड्यूटी का प्रकार	सौंपी गई ड्यूटी	कितने (प्रतिशत) निष्पादित की गई	API अंक
	कुल अंक (अधिकतम अंक : 25)			

वर्ग : I में कुल प्राप्तांक .....

न्यूनतम अंको की आवश्यकता - 75

वर्ग : II. सह पाठ्येत्तर, विस्तार, व्यावसायिक विकास संबंधी कार्यकलाप कृपया निम्नलिखित में से किसी एक के लिए अपना योगदान दर्शायें:

क्र.सं.	कार्यकलाप का प्रकार	औसत घंटे/सप्ताह	API अंक
	(i) विस्तार, सहपाठ्येत्तर एवं क्षेत्र आधारित कार्यकलाप		
	कुल (अधिकतम अंक : 20)		
	(ii) कारपोरेट जीवन में योगदान तथा संस्थान का प्रबंधन	वार्षिक/सत्रवार उत्तरदायित्व	API अंक
	कुल (अधिकतम अंक-15)		
	(iii) व्यावसायिक विकासगत गतिविधियाँ		



## (ii) सम्मेलन कार्यवाहियों में पूर्ण पत्र

क्र. सं.	पृ.सं. सहित शीर्षक	सम्मेलन प्रकाशन का ब्यौरा	ISSN/ ISBN सं.	सह लेखकों की संख्या	क्या आप मुख्य लेखक हैं?	API अंक

## (iii) एकल लेखक या संपादक के रूप में प्रकाशित पुस्तकें

क्र. सं.	पृ.सं. सहित शीर्षक	पुस्तक का प्रकार एवं कर्तृत्व	प्रकाशक एवं ISSN/ ISBN सं.	क्या समकक्ष की समीक्षा की गई ?	सह-लेखकों की संख्या	क्या आप मुख्य लेखक हैं ?	API अंक

## III. (ग) चल रही एवं पूर्ण हो चुकी शोध तथा परामर्शी परियोजनाएं

(i एवं ii) चल रही परामर्शी परियोजनाएं

क्र.सं.	शीर्षक	अभिकरण	अवधि	गतिशील अनुदान राशि (लाख रु. में)	API अंक

(iii एवं iv) पूर्ण हुई परियोजनाएं/परामर्शी

क्र.सं.	नामांकन सं.	अभिकरण	अवधि	अनुदान/चल राशि (लाख रु. में)	निष्कर्ष रूप में पॉलिसी डाक्यूमेंट/पेटेंट का	API अंक

### III. (घ) शोध मार्गदर्शन

क्र.सं.	अनुक्रमांक सं.	जमा किया गया शोध निबंध	प्रदत्त डिग्री	API अंक
एम. फिल या समान				
पी.एच.डी. या समान				

### III. (ङ) (i) प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, शिक्षण-अनुशिक्षण-मूल्यांकन प्रौद्योगिकी कार्यक्रम, संकाय विकास कार्यक्रम (एक सप्ताह की अवधि से कम नहीं)

क्र.सं.	कार्यक्रम	अवधि	द्वारा आयोजित	API अंक

### (ii) सम्मेलनों, संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, परिचर्चाओं में प्रस्तुत किए गए पत्र

क्र. सं.	प्रस्तुत पत्र का शीर्षक	सम्मेलन/संगोष्ठी का विषय	द्वारा आयोजित	क्या अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय/राज्य/प्रादेशिक/कालेज या विश्वविद्यालय स्तर पर हुए	API अंक

(iii) राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संगोष्ठी आदि में आमंत्रित व्याख्यान एवं अध्यक्षता

क्र.सं.	व्याख्यान अकादमिक सत्र का शीर्षक	सम्मेलन / संगोष्ठी का विषय	द्वारा आयोजित की गई	क्या अंतर्राष्ट्रीय / राष्ट्रीय है ?	API अंक

(IV) API अंको का सार

	मानदण्ड	गत अकादमिक वर्ष	आकलन अवधि हेतु कुल API अंक	आकलन अवधि हेतु वार्षिक औसत API अंक
I	शिक्षण, अनुशिक्षण तथा मूल्यांकन संबंधी गतिविधियाँ			
II	सह पाठयेत्तर , विस्तार, व्यावसायिक विकास आदि			
	कुल I+II			
III	शोध एवं अकादमिक योगदान			

### भाग ग : अन्य संबंधित सूचना

कृपया किसी अन्य विश्वसनीय, महत्वपूर्ण योगदान, प्राप्त किए गए अवार्ड आदि का ब्यौरा दें जिसे पूर्व में नहीं दर्शाया गया है :

क्र. सं.	ब्यौरा ( जहाँ कहीं आवश्यक हो, वर्ष मूल्य आदि दर्शाये)

**संलग्नकों की सूची :** (कृपया प्रमाणपत्रों, मंजूरी आदेशों, पत्रों आदि की प्रतियाँ साथ नत्थी करें, जहाँ कहीं आवश्यक हो )

- |    |     |
|----|-----|
| 1. | 6.  |
| 2. | 7.  |
| 3. | 8.  |
| 4. | 9.  |
| 5. | 10. |

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि यहाँ दी गई जानकारीयों महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार सही हैं तथा विधिवत भरे गए PBAS प्रोफार्मा के साथ दस्तावेज नत्थी किए गए हैं ।

**संकाय के पद, स्थान एवं तिथि सहित हस्ताक्षर**

**विभागाध्यक्ष/महाविद्यालय अध्यक्ष/प्राचार्य के हस्ताक्षर**

नोट : कैस पदोन्नति हेतु वार्षिक स्व मूल्यांकित प्रोफॉर्मा, विधिवत भरा हुआ, की सभी संलग्नकों सहित विश्वविद्यालय/कालेज द्वारा जाँच की जायेगी तथा इसकी सूचना IQAC को प्रेषित की जायेगी ।



भाग-घ.

(आंतरिक गुणवत्ता एवं मूल्यांकन प्रकोष्ठ/उच्च शिक्षा संचालनालय का  
अभिमत)

आवेदक अधिकारी द्वारा भाग क, ख, ग में प्रेषित सत्र/वर्ष .....  
के स्व-मूल्यांकन पर टीप-

1.	क्या आप आवेदक अधिकारी के स्व मूल्यांकन में अंकित किसी बिन्दु से असहमत हैं ? यदि हाँ तो किन-किन बिन्दुओं से तथा क्यों ? (कारण सहित उल्लेख करें)	
	बिन्दु-	कारण-
	बिन्दु-	कारण-
	बिन्दु-	कारण-
	बिन्दु-	कारण-
2.	आवेदक अधिकारी की निष्ठा	
3.	आवेदक अधिकारी के समग्र मूल्यांकन के आधार पर अनुशंसित अकादमिक निष्पादन सूचकांक (A.P.I.)	

स्थान -

दिनांक -

हस्ताक्षर

नाम .....

पदनाम .....

हस्ताक्षर

नाम .....

पदनाम .....

संयुक्त संचालक  
आंतरिक गुणवत्ता एवं मूल्यांकन  
प्रकोष्ठ

अपर संचालक  
उच्च शिक्षा संचालनालय  
रायपुर (छ0ग0)

समीक्षक अधिकारी की अभ्युक्ति

1.	क्या आप आंतरिक गुणवत्ता एवं मूल्यांकन प्रकोष्ठ के अभिमत से सहमत है ?	
2.	यदि नहीं तो कारण दर्शित करें।	

स्थान –

दिनांक –

हस्ताक्षर

.....

.....

समीक्षक अधिकारी के

नाम .....

पदनाम .....

स्वीकृतकर्ता अधिकारी की अभ्युक्ति

स्थान –

दिनांक –

हस्ताक्षर

स्वीकृतकर्ता अधिकारी के

नाम .....

पदनाम .....

## PBAS प्रोफार्मा के भाग ख को भरने हेतु अनुदेश

प्रोफार्मा का भाग-ख, यू.जी.सी. विनियम 2010 के परिशिष्ट-111, तालिका-1 पर आधारित है। इसको हाल ही में समाप्त हुए अकादमिक वर्ष हेतु भरा जायेगा।

प्रोफार्मा, इन तालिकाओं तथा स्व आकलन किए गए अंकों के आधार पर भरा जायेगा। प्रत्येक वर्ग, यहाँ तक कि विभिन्न कार्यकलापों के पृथक-पृथक क्षेत्रों हेतु प्रदान किए गए या अगसारित किए गए अंकों को तालिका में दर्शाया गया है।

स्व मूल्यांकित प्राप्तांक अंक नीचे दर्शाये गए संकेतकों/कार्यकलापों पर आधारित होंगे। विश्वविद्यालय, उनके अनुभवों एवं अपेक्षाओं पर आधारित विस्तृत संकेतकों और संबंधित अंकों में परिशिष्ट III, तालिका I में वर्गों एवं उपवर्गों को दिए गए प्राप्तांकों में परिवर्तन किए बगैर, रूपांतरित कर सकते हैं।

नोट : स्व मूल्यांकन, विश्वविद्यालय/कालेज द्वारा जाँच तथा छानबीन-सह-जाँच समिति या चयन समिति पर निर्भर करता है, जैसा भी मामला हो।

**श्रेणी : 1, शिक्षण, तथा मूल्यांकन संबंधी कार्यकलाप**

(i) (क)

व्याख्यान/प्रायोगिक कक्षाएँ/अनुशिक्षण, ली गई संपर्क कक्षाएं, जाँच योग्य रिकार्ड पर आधारित होनी चाहिए। यदि किसी शिक्षक ने सौंपी गई कक्षाओं में से 75 प्रतिशत से कम कक्षाएं ली हैं उसे कोई अंक प्रदान नहीं किया जाएगा। विश्वविद्यालय, वकाश की अवधि हेतु भत्ता प्रदान कर सकता है, जहाँ साधारणतः वैकल्पिक शिक्षण व्यवस्था की गई है। <b>100 प्रतिशत कार्य निष्पादन होने पर अधिकतम अंक : 50</b>	अधिकतम अंक : 50
--	-----------------

(ख)

यदि शिक्षक ने यू.जी.सी. प्रतिमान से हटकर कक्षाएं ली हैं, ऐसे में कक्षाओं/क्रेडिट के प्रत्येक अतिरिक्त घंटे के लिए 2 अंक प्रदान किए जाएंगे।	अधिकतम अंक : 10
--	-----------------

(ii)

सूचना/संज्ञान/अनुदेश निर्धारित सामग्री सहित प्रति पाठ्य-विवरण के अनुसार पाठ्य-पुस्तक /नियमावली आदि), विद्यार्थियों को अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराकर पाठ्यचर्चा संवर्धन <b>(100 प्रतिशत अनुपालन = 20 अंक)</b>	अधिकतम अंक : 20
--	-----------------

(iii) सहभागिता एवं नवोन्मेषी शिक्षण-अनुशिक्षण पद्धतियों, अद्यतन विषयवस्तु, पाठ्यक्रम संवर्धन आदि का उपयोग।

संकेतक / कार्यकलाप	अधिकतम अंक
पाठ्यक्रमों, पाठ्य विवरण की रूपरेखा को अद्यतन करना (एकल पाठ्यक्रम हेतु)	10
नवाचारी शिक्षण/अनुशिक्षण में प्रशिक्षण पद्धतियों का उपयोग सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग, अद्यतन विषयवस्तु एवं पाठ्यक्रम सुधार।	10
क. सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित शिक्षण सामग्री : प्रत्येक के लिए 10 अंक	10
ख. अन्योन्यक्रिया पाठ्यक्रम : प्रत्येक के लिए 5 अंक ग. सहभागितापूर्ण अनुशिक्षण मॉड्यूलस : प्रत्येक के लिए 5 अंक	10
विकासात्मक तथा विदित उपचारात्मक/ब्रिज पाठ्यक्रम तथा परामर्शी मॉड्यूलस (प्रत्येक कार्यकलाप : 5 अंक)	10
शारीरिक शिक्षा में विकासात्मक विदित विशेषज्ञतापूर्ण शिक्षण – अनुशिक्षण कार्यक्रम, पुस्तकालय: संगीत में नवाचारी सृजन एवं रचनात्मकता, कार्यनिष्पादन एवं दृश्यात्मक कला एवं अन्य पारंपरिक क्षेत्र (प्रत्येक कार्यकलाप : 5 अंक)	10
विद्यार्थियों के लिए कम्प्यूटर सहायक शिक्षण/वैब आधारित शिक्षण तथा ई-पुस्तकालय कौशल में प्रचलित कार्यक्रमों/प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की व्यवस्था एवं संचालन (क) कार्यशाला/प्रशिक्षण पाठ्यक्रम : प्रत्येक के लिए 10 अंक	10
अधिकतम पूर्णांक सीमा	20

(iv) परीक्षा संबंधी कार्य

संकेतक	अधिकतम अंक
कालेज/विश्वविद्यालय तथा सत्रीय/वार्षिक कार्य आबंटित ड्यूटी के अनुसार (निरीक्षण कार्य-10 अंक, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन-5 अंक प्रश्नपत्र तैयार करना- 5अंक) (100 % अनुपालन = 20 अंक)	20
कालेज/विश्वविद्यालय परीक्षा/मूल्यांकन उत्तरदायित्व आबंटित किए गए अनुसार आंतरिक/निरंतर आकलन कार्य हेतु (100 % अनुपालन = 10अंक)	10
समन्वयन जैसे परीक्षा कार्य, या उड़नदस्ता ड्यूटी आदि (अधिकतम 5 या 10 अंक ड्यूटी की गंभीरता पर निर्भर (100 % अनुपालन = 10अंक)	10
अधिकतम पूर्णांक सीमा ख (iv)	25

**श्रेणी : II सह-पाठ्येत्तर, विस्तार एवं व्यावसायिक विकास संबंधी कार्यकलाप**

(i) विस्तार तथा सह पाठ्येत्तर तथा स्थल आधारित कार्यकलाप

संस्थानात्मक सह पाठ्येत्तर कार्यकलाप; विद्यार्थियों हेतु जैसे स्थल अध्ययन/शैक्षिक दौरे, उद्योग स्थापना प्रशिक्षण एवं नियोजन कार्यकलाप (प्रत्येक के लिए 5 अंक)	10
पद/नेतृत्व की भूमिका जो विस्तारित कार्य तथा राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) NCC, NSO या कोई अन्य समानरूप कार्यकलाप से संबद्ध संगठन में निभाई गई भूमिका (प्रत्येक कार्यकलाप के लिए 10 अंक)	10
विद्यार्थियों एवं स्टाफ संबंधी सामाजिक सांस्कृतिक एवं खेलकूद कार्यक्रम, परिसर प्रकाशन (विभागीय स्तर, 2 अंक, संस्थागत स्तर पर 5 अंक)	10
सामुदायिक कार्य जैसे राष्ट्र संघटन, पर्यावरण लोकतंत्र समाजवाद, मानव अधिकार, शांति, वैज्ञानिक प्रकृति ; बाढ़ या सूखा राहत, छोटा परिवार मानदण्ड आदि (प्रत्येक के लिए 5 अंक)	10
<b>अधिकतम पूर्णांक सीमा</b>	<b>20</b>

(ii) संस्थान के निगमात्मक जीवन तथा प्रबंधन में योगदान

कालेजों/विश्वविद्यालयों के निगमात्मक जीवन में योगदान; बैठकों, प्रचलित व्याख्यानों, विषय संबंधी आयोजनों, कालेज पत्रिका तथा विश्वविद्यालय संस्करणों में आलेखों के माध्यम से (प्रत्येक के लिए 2 अंक)	10
संस्थानात्मक शासन उत्तरदायित्व जैसे उप-प्राचार्य, डीन, निदेशक, वार्डन, बर्सर, स्कूल अध्यक्ष, समन्वयक (प्रत्येक के लिए 10 अंक)	10
विभागीय या संस्थानात्मक प्रबंधन के किसी भी पहलू सहित संबंधित समितियों में सहभागिता जैसे दाखिला समिति, परिसरीय विकास, पुस्तकालय समिति (प्रत्येक के लिए 5 अंक)	10
छात्र कल्याण, परामर्श एवं अनुशासन हेतु समितियों हेतु उत्तरदायित्व या सहभागिता (प्रत्येक के लिए 5 अंक)	10
सम्मेलन का संगठन/प्रशिक्षण अंतराष्ट्रीय (10 अंक) ; राष्ट्रीय/ प्रादेशिक (5 अंक)	10
<b>अधिकतम पूर्णांक सीमा</b>	<b>15</b>

(iii) व्यावसायिक विकास संबंधी कार्यकलाप

संकेतक/कार्यकलाप	अधिकतम अंक
व्यवसाय संबंधी समितियों की सदस्यता राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर क. राष्ट्रीय स्तर पर : प्रत्येक के लिए 3 अंक ख. स्थल स्तर पर : प्रत्येक के लिए 2 अंक	10
विषय संघ सम्मेलन, संगोष्ठियों में बगैर पत्र प्रस्तुतिकरण के सहभागिता प्रत्येक कार्यकलाप के लिए : 2 अंक	10

शैक्षिक प्रौद्योगिकी, पाठ्यविवरण विकास, व्यावसायिक विकास, परीक्षा सुधार, संस्थानात्मक शासन में 1 सप्ताह से कम अवधि के अल्पकालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों सहभागिता (प्रत्येक कार्यक्रम के लिए 5 अंक)	10
शिक्षा पर राज्य/केन्द्रीय निकायों/समितियों में सदस्यता, सहभागिता, अनुसंधान एवं राष्ट्रीय विकास (प्रत्येक के लिए 5 अंक)	10
समाचार पत्रों, पत्रिकाओं या अन्य प्रकाशनों (जो वर्ग 3 में शामिल नहीं हैं) में आलेखों का प्रकाशन : रेडियो वार्ता, दूरदर्शन कार्यक्रम (प्रत्येक के लिए 1 अंक)	10
अधिकतम पूर्णांक सीमा	15

### वर्ग: III अनुसंधान, प्रकाशन तथा अकादमिक योगदान

इसको यू.जी.सी. विनियम 2010 के परिशिष्ट III तालिका 1, वर्ग III के अनुसार भरा जाएगा। जहां कहीं भी अनुसंधान योगदान संयुक्त रूप से किया गया है, ए पी आई अंको को, तालिका-1 दर्शाये गए फार्मूले के अनुसार सहयोगियों के मध्य बॉट दिया जाएगा।

### III एपीआई अंको का सारांश

वर्ग एव के लिए एपीआई प्राप्तांको को प्रगति अनुसार उत्तरोत्तर संचालित किया जायेगा जैसा कि यू.जी.सी. विनियम 2010 में दर्शाया गया है। यह समस्त प्रक्रिया 2010-11 के लिए निर्मित चयन समितियों के आकलन के साथ प्रारंभ होगी और इसी के अनुसार 2011-12 की 2 वर्ष की अवधि का वार्षिक औसत और आगे आने वाली अवधि का भी उसी प्रकार से आकलन किया जाएगा। परंतु जैसा कि विनियमों के अंतर्गत पहले ही निर्दिष्ट किया जा चुका है, श्रेणी III के लिए समस्त निर्धारण अवधि में प्राप्तांको को कंप्यूटरीकृत किया जाएगा।

### IV

इसी प्रकार पीबीएस प्रोफॉर्मा, विश्वविद्यालय द्वारा पुस्तकालयाध्यक्ष/उप-पुस्तकालयाध्यक्ष/सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष तथा निदेशक, शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद/उप-निदेशक, शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद जो कि यू.जी.सी. विनियम 2010 के परिशिष्ट III : तालिका- IV से IX में रेखांकित किए गए ए पी आई अंक पैटर्न पर आधारित है, इन संवर्गों द्वारा विकसित किया जायेगा।